

मांक एवं
श की तिथि

9

अपर समाहर्ता का न्यायालय, साहेबगंज
Arbitration Case No. 05/2022-23
सलीम अख्तर

-बनाम-

जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज।
परियोजना निदेशक NHAI साहेबगंज
कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, साहेबगंज।

२

आदेश पर की
गई कार्यवाही के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित
३

18/03/23

अगिलेख उपस्थापित।

प्रस्तुत वाद आवेदक सलीम अख्तर, पिता - स्व०. अहमद साहाब, साकिन - उधवा चक पतौड़ा जिला - साहेबगंज के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय झारखंड, राँची के दायर वाद सं० - W.P (C) NO - 1648/2021 दिनांक - 22.12.2021 को पारित आदेश के आलोक में अपर समाहर्ता सह Arbitrator के न्यायालय में वाद की कार्यवाई प्रारंभ की गई।

- उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। वादी द्वारा स्वयं Note of Argument समर्पित किया गया है। उनके अनुसार मौजा पतौड़ा सीट नं० -02, थाना नं० - 171 अंचल - उधवा के Plot सं० - 1223 में 1.5 कट्ठा भूमि पर 45' X 15' की दुकान, आवासीय गकान Tiles Marble लगा हुआ है जिसका बाजार मूल्य के मुताबिक मुआवजा 98,70,000.00 होना चाहिए परन्तु मुझे मात्र 20,93,246.00 रुपये का नोटिस मुआवजा प्राप्ति हेतु प्राप्त हुआ है। जिसके वादी असंतुष्ट है।

- प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा Note of Argument समर्पित किया गया है। जिसके अनुसार NH-80 मिर्जापौकी से फरक्का पथ परियोजना में NHAI Act 1956 की धारा 3 (A) के तहत अधिसूचना 16.05.17 को प्रकाशित किया गया 3 (A) के तहत अधिसूचना के वाद धारा 3 (C) के तहत वादी को 21 दिनों के अंदर CALA के समक्ष आपत्ति दर्ज करना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

- उसके उपरांत दिनांक - 09.03.18 को Section 3 (D) के तहत अधिघोषणा निर्गत की गई। इसके बाद CALA के द्वारा Section 3 (G) के तहत पंचाट घोषित कर संबंधित रैयतों को मुआवजा हेतु सूचना निर्गत की गई। प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि संरचना का मूल्यांकन वादी की

12



अपने मकान का Video Clip उपलब्ध कराते हुए पुनः जाँच करने का अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में अधोहरताक्षरी द्वारा पत्रांक - 28, दिनांक - 17.10.2022 द्वारा पुनः परियोजना निदेशक NHAI एवं कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, साहेबगंज को Video Clip जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत किया गया।

उक्त आलोक में परियोजना निदेशक NHAI साहेबगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि -

1) Video Clip का समयांतराल बहुत छोटा लगभग 30 से 40 Second का है

2) Video Clip बहुत ही भ्रामक है।

संरचना मूल्यांकन के संदर्भ से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि CALA द्वारा भू-अर्जन की विधिक प्रक्रियाओं को अनुपालन करते हुए संरचना एवं भूमि का पंचाट घोषित किया गया है। वादी के अनुरोध पर जाँच कमिटी द्वारा संरचना का पूर्व मूल्यांकन को उचित बतलाया गया है। 3 (A) अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त संरचना में कोई बदलाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अतएव वादी द्वारा संरचना का अधिक मुआवजा प्राप्त करने का दावा अमान्य है। संबंधित भूमि का मुआवजा प्राप्ति हेतु वादी CALA के कार्यालय में अपना दावा पेश कर सकते हैं।

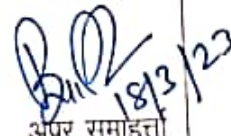
वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
-सह-

Arbitrator
साहेबगंज।


अपर समाहर्ता,
-सह-
Arbitrator
साहेबगंज।